न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :– 534/2018–19

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा – 46)

1. मोसमात सिमैला देवी वो 2. मोसमात चिन्तामनी देवी – विक्रेता

महामहिम राज्यपाल झारखण्ड सरकार – क्रेता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
25.09.20	**आदेश** आवेदक 1. मोसमात सिमैला देवी पति स्व0 सुखलाल मुण्डा वो 2. मोसमात चिन्तामनी देवी पति स्व0 बुधु मुन्डा ग्राम साकिन जोजोहातु, डाकघर जोजोहातु, थाना अड़की, जिला खूँटी ने महामहिम राज्यपाल झारखण्ड सरकार के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतू आवेदन पत्र दिया है।	

ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा सं0	रकबा (एकड़ में)
जोजोहातु	289	59	538	2.00

अंचल अधिकारी, अड़की के पत्रांक 279(ii) दिनांक 11.06.2020 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जांच प्रतिवेदन के जांच प्रतिवेदन अनुसार आवेदित भूमि मुण्डारी खुटकटी खाता के अंतर्गत होने के कारण भूमि बिक्री हेतु अनुशंसा नहीं की गयी है।

अतः अंचल अधिकारी, अड़की के जांच प्रतिवेदन अनुसार वाद अस्वीकृत की जाती है। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित

25/09/20

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।

25/09/20

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।